न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 07 / 2023

उनवान

1. श्री प्रकाश सालवी पिता धुलाजी सालवी (बलाई) उम्र 41 वर्ष जाति सालवी (बलाई) निवासी एमनिया पाडला इटालीखेडा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश पिता सोहन बलाई जाति सालवी (बलाई) उम्र बालिग निवासी एमनिया पाडला तहसील सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर।
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

सहायक कलेक्टर सलूम्बर सलूम्बर जिला-सलूम्बर (राज.)

–::निर्णय::–

दिनांक : 21–05–2024

उपस्थितिः श्री भगवतीलाल सुथार अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री केशव पटेल – विपक्षी सं. 1 तथा
विपक्षी सं. 2 की एक पक्षीय उपस्थिति

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की मौजा एमनिया पाडला पटवार हल्का इटालीखेडा की जमाबंदी वर्ष 2075–2078 खाता संख्या नया 111 पुराना 114 मे वर्णित आराजीयात कुल किता 07 रकबा 1.43 हैक्टेयर भूमि स्थित है। मुल पुरूष श्री धुला पिता नाथुलाल सालवी (बलाई) कि मृत्यु होने से विरासत से उनके एकमात्र पुत्र प्रार्थी प्रकाश सालवी (बलाई) के नाम विरासत से मौजा एमनिया पाडला पटवार हल्का इटालीखेडा में नामान्तण दर्ज हुआ, जिसका विवरण जमाबंदी वर्ष 2075–2078 खाता संख्या 111 व 112 मे दर्ज है, जिसमे नामान्तण दर्ज करते समय सहवन से दर्ज करने वाले अधिकारी व पटवारी ने प्रार्थी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में दर्ज नाम प्रकाश पिता धुला जी सालवी (बलाई) दर्ज करने के बजाय रमेश पिता धुला बलाई नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया, जिससे प्रार्थी के उक्त खाते में व राजस्व भू–अभिलेख मे अशुद्ध अंकन दरामद कर दिया है, जो उक्त नामान्तरण के बाद राजस्व रिकोर्ड में उसी प्रकार से दर्ज है व वर्तमान खाता संख्या 111 व 112 में प्रार्थी के नाम का अशुद्ध अंकन दर्ज है. जिसकि जमाबंदी प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। जिसकी जगह नाम में रमेश पिता धूला सालवी से उसका सही नाम प्रकाश पिता धूलानो सालवी (बलाई) नाम का शुद्ध अंकन राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवाया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है।

प्रार्थी का सही नाम प्रकाश पिता धूला सालवी (बलाई) है तथा मौके पर सीमा को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है, प्रार्थी के अशुद्ध अंकन वाले नाम रमेश पिता धूला सालवी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला – सलूम्बर

बजरिये:- श्री पर्वत सिंह चुण्डावत आर.ए.एस

उनवान–श्री प्रकाश बनाम राज्य सरकार

प्रकरण संख्या–07 / 2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले.रे.एक्ट

(बलाई) नाम का एमनिया पाडला व ईटालीखेडा मे अन्य व्यक्ति भी नहीं है व प्रार्थी को बेवजह खातेदारी अधिकारो से वंचित होना पड रहा है। सरकारी गैर सरकारी योजनाओं, सरकारी अनुदान, मुआवजा आदि से भी प्रार्थी को महरूम व वंचित रहना पड़ रहा है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की भूमि मे प्रार्थी के नाम के अशुद्ध अंकन रमेश पिता धूला सालवी (बलाई) के स्थान पर प्रकाश पिता धूला सालवी (बलाई) के नाम राजस्व रिकोर्ड में कृषि भूमि दर्ज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रिजस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री केशव पटेल ने वकालतनामा पेश कर इकबाली जवाब पेश किया। विपक्षी सं. 2 बावजूर सूचना के उपस्थित नही होने से विपक्षी सं. 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 111 मे रमेश पिता धुला एवं खाता सं. 112 मे दिनेश पिता सोहन हिस्सा 1/2 ,रमेश पिता धुला हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रमाणित नही होता है की कोई त्रुटी रिकॉर्ड मे हुई है। कौनसे रिकॉर्ड मे प्रकाश था, व नाम कब रमेश हो गया यह भी रिकॉर्ड पत्रावली पर पेश नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर,जिला-सलूम्बर(राज.)

(पर्वत सिंह [illegible])
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
उपखण्ड अधिकारी सालूम्बर
जिला सलूम्बर
जिला– सालूम्बर